## MOST IMMEDIATE ASSEMBLY QUESTION

## GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI REVENUE DEPARTMENT: PARLIAMENT CELL 5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

No. F.11/2061/DC/PC/VS/2023 / 29 / 8

Dated: 16/12/2023

To

The Dy. Secretary (Question Cell) Delhi Legislative Secretariat, Old Secretariat Delhi-110054

Sub: Reply to Vidhan Sabha Starred Question No. 39 fixed for 18.12.2023 raised by Hon'ble MLA Sh. Mohan Singh Visht Ji.

Sir,

Please find enclosed herewith the 100 copies of the reply in respect of above said question for further necessary action at you end.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

Yours faithfully

Encl.: As above.

(MANVINDER SINGH) SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-IV (HQ)

> MANVINDER SINGH Sub Divisional Magistrate (HQ) Govt. of NCT of Delhi 5, Sham Nath Marg, Delhi-54

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार कार्यालय—मण्डलायुक्त राजस्व विभाग : संसदीय प्रकोष्ठ, 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

तारांकित प्रश्न संख्या : 39

राजस्व विभाग

दिनांक 18.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री मोहन सिंह विष्ट जी

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

<ul> <li>क).स. प्रश्न</li> <li>क) दिल्ली के अंतर्गत कुल कितने गांव हैं;</li> <li>ख) क्या यह सत्य है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास उनके रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं;</li> <li>ग) यदि हां, तो रेवेन्यू रिकार्ड होने के बाद आज तक जिन किसानों की मृत्यु हो गई उनके बच्चों के नाम पर जमीन नहीं ट्रांसफर किये जाने के क्या कारण है;</li> <li>घ) क्या यह भी सत्य है कि भूमिधरों की जमीन का ट्रांसफर अपने परिवार के लोगों में ट्रांसफर करने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है; और</li> <li>ड) यदि नहीं, तो आज तक कितने गांवों के उंतर्गत कुल 357 गांव हैं।</li> <li>जी नहीं, राजस्व विभाग में राजस्व गांवों के संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।</li> <li>ग्रामीण गांवों में म्यूटेशन की प्रक्रिया जारी है।</li> <li>ग्रामीण गांवों में जमीन का दाखिल ∕खारिज का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है।</li> <li>ड) यदि नहीं, तो आज तक कितने गांवों की उपरोक्तानुसार लागू नहीं।</li> </ul>	-	म निव राजस्य मेत्रा यह बताने की कृपा	करेगें कि :
ख) विरुट्ता के अतर्गत कुल कितने गांव हैं; विल्ली के अंतर्गत कुल 357 गांव हैं।  ख) क्या यह सत्य है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास उनके रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं;  ग) यदि हां, तो रेवेन्यू रिकार्ड होने के बाद आज तक जिन किसानों की मृत्यु हो गई उनके बच्चों के नाम पर जमीन नहीं ट्रांसफर किये जाने के क्या कारण है;  घ) क्या यह भी सत्य है कि भूमिधरों की जमीन का ट्रांसफर अपने परिवार के लोगों में ट्रांसफर करने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है; और  ड) यदि नहीं, तो आज तक कितने गांवों च्याप्रेक्टा प्राप्त करना पड़ता है; अगैर व्याप्त विभाग में राजस्व गांवों के अंतर्गत कुल 357 गांव हैं। जी नहीं, राजस्व विभाग में राजस्व गांवों के संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।  जी नहीं, राजस्व विभाग में राजस्व गांवों के संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।  ग्रामीण गांवों में म्यूटेशन की प्रक्रिया जारी है।  ग्रामीण गांवों में जमीन का दाखिल ∕खारिज का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है।	क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
<ul> <li>ग) यदि हां, तो रेवेन्यू रिकार्ड होने के बाद आज तक जिन किसानों की मृत्यु हो गई उनके बच्चों के नाम पर जमीन नहीं ट्रांसफर किये जाने के क्या कारण है;</li> <li>घ) क्या यह भी सत्य है कि भूमिधरों की जमीन का ट्रांसफर अपने परिवार के लोगों में ट्रांसफर करने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है;</li> <li>उ) यदि नहीं, तो आज तक कितने गांवों जगीन गांवों में म्यूटेशन की प्रक्रिया जारी है। यह प्रक्रिया शहरीकृत गांवों में बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया शहरीकृत गांवों में बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया शहरीकृत गांवों में बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया शहरीकृत गांवों में जमीन का दाखिल/खारिज का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है।</li> </ul>	-	के अधिकारियों के पास उनके रिकार्ड	दिल्ली के अंतर्गत कुल 357 गांव हैं।
घ) क्या यह भी सत्य है कि भूमिधरों की जमीन का दाखिल / खारिज का जमीन का ट्रांसफर अपने परिवार के लोगों में ट्रांसफर करने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है; और		यदि हां, तो रेवेन्यू रिकार्ड होने के बाद आज तक जिन किसानों की मृत्यु हो गई उनके बच्चों के नाम पर जमीन नहीं ट्रांसफर किये जाने के	यह प्रक्रिया शहरीकृत गांवों में बंद हो जाती है।
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ਬ)	क्या यह भी सत्य है कि भूमिधरों की जमीन का ट्रांसफर अपने परिवार के लोगों में ट्रांसफर करने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पडता है	
	,	यदि नहीं, तो आज तक कितने गांवों की जमीन को ट्रांसफर किया गया है?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त की गई है।

(मनविंदर सिंह)

उपमण्डलीय दण्डाधिकारी -4 (मु०) MANVINDER SIN (अ) Sub Divisional Magistrate (HQ)

Govt. of NCT of Delhi 5, Sham Nath Marg, Delhi-54